न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 05/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सीता पुत्री डांवरराम पत्नी श्री देवेन्द्रसिंह जाति सीरवी निवासी पिचियाक हाल मुकाम नाथद्वारा के पास बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– प्रार्थीया स्वयं।
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार।

आदेश

दिनांक :– 9/9/2020

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बंध जसवन्तसागर पटवार हल्का पिचियाक तहसील बिलाड़ा की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर किस्म कच्छार अव्वल स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। उक्त भूमि प्रार्थीया के माता जीमनाई पत्नी श्री डांवरराम के खातेदारी की कब्जासुदा भूमि थी जिस पर आजीवन काबिज रहे तथा उनके मरणोपरान्त उक्त भूमि प्रार्थीया व अन्य सह खातेदारों के नाम दर्ज है। जबकि प्रार्थीया का नाम सीता है तथा इसी नाम से प्रार्थीया का राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थीया का आधारकार्ड आदि सीता के नाम से बने हुए है। लिपिकीय त्रुटिवश राजस्व रेकर्ड में सीता के स्थान पर उक्त भूमि में गुडडीदेवी पुत्री डांवरराम दर्ज हो गया है जो कि अशुद्ध है। प्रार्थीया का वर्तमान में सम्पूर्ण दस्तावेजात सीता के नाम से बने हुए है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीया का नाम गुडडीदेवी के स्थान पर सीता दर्ज करने हेतु तथा इस बाबत् शुद्धी हेतु अप्रार्थी के यहा आवेदन किया लेकिन अप्रार्थी की ओर से ग्राम बंध जसवंतसागर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर किस्म कच्छार अव्वल राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद है के संबंध में प्रार्थीया गुडडीदेवी के स्थान पर सीता दर्ज करने हेतु अप्रार्थी के यहा आवेदन किया मगर अप्रार्थी ने गुडडीदेवी के स्थान पर सीता दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिया जबकि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में नाम सीता दर्ज है इस प्रकार प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में सीता के स्थान पर गुडडीदेवी गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अनुदान राशि लेने एवं बैंक ऋण इत्यादि लेने में बेजा असुविधा हो रही है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बंध जसवन्तसागर पटवार हल्का पिचियाक तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर किस्म कच्छार अव्वल भूमि स्थित है जो

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 331 पर दर्ज है जिसकी प्रार्थीया सयुक्त खातेदार काश्तकार है जिसके संबंध में प्रार्थीया का नाम गुडडीदेवी के स्थान पर सीता दर्ज करने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया अप्रार्थी उपस्थित हुए और उनकी तरफ से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर ग्राम बंध जसवंतसागर प.म. पिचियाक में आयी हुयी है। जमनाई पत्नी डांवरराम के फौत होने से जरिये नामा. संख्या 1608 दिनांक 07.05.2018 के जरिये वादिया का नाम गुडडीदेवी पुत्री. डांवरराम दर्ज हुआ। वादीया अपना नाम गुडडीदेवी के स्थान पर सीता करवाना चाहती है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर ग्राम बंध जसवंतसागर की सीमा में आयी हुयी है। जिसमें वादीया सयुक्त खातेदार है। जिसमें वादीया द्वारा अपना नाम गुडडीदेवी के स्थान पर सीता किये जाने की इस्तदुआ की है। वादीया का नाम नामा. संख्या 1608 के जरिये दर्ज हुआ है।

उभय पक्षकारान के वकुलाय की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में पेश दस्तावेजात व जमाबन्दी का अवलोकन करने से पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित नामान्तरकरण में प्रार्थीया का नाम गुड्डीदेवी दर्ज है एवं इसी अनुरूप जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। प्रार्थीया द्वारा नाम की शुद्धी चाही गयी जबकि प्रकरण में राजस्व रेकर्ड के संधारण में किसी प्रकार की लिपीकीय त्रुटि होना नही पाया गया। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 9/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned with CamScanner